

11
GCS Number 2023/374

मुकदमा नम्बर :- 108/2023

दिनांक 25/08/2023

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

रायपुर

अनवान

प्रार्थी

राजस्थान सरकार

जरिये भूमिधारी

तहसीलदार रायपुर

अप्रार्थी

1. रूगनाथ सिंह पुत्र देवी सिंह

2. बाणरथ सिंह पुत्र देवी सिंह

जाति रावत निवासी कलाछिया


प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 वास्ते तरमीम दुरुस्ती

महोदय,

1. निवेदन है कि अप्रार्थी रूगनाथ सिंह पु. देवी सिंह निवासी कलाछिया के नाम से ग्राम कलाछिया पटवार मंडल कलाछिया तहसील रायपुर जिला पाली के नाम से खातेदारी भूमि अवस्थित है।

अप्रार्थी की पैरा एक में वर्णित भूमि की तरमीम वक्त सेग्रीगेशन गलत स्थान पर सहवन से करदी गई जिसे दुरुस्त किया जाना है।



पटवारी हल्का कलाछिया एवं भू अ.नि. कावुजा की रिपोर्ट अनुसार तरमीम शुद्धि के आदेश फरमाया जावे।


तहसीलदार (रायपुर पाली)

फर्दमौका

आज दिनांक को ग्राम कलालिया के खसरा संख्या 3308 3312
 रकबा किस्म काठ खातेदार रुग्ना प्रविश 3312 0-0329 0.7764
 कौम राव का मौका देखा। मौके अनुसार खातेदारान का निम्नांकित नक्शा अनुसार
 कब्जा काशत है।

नजरीनक्शा



वर्तमान तरमीम जो गलत है।

सही स्थान पर प्रस्तावित तरमीम

मौका / नक्शा लट्टा अनुसार तरमीम शुद्धि प्रस्तावित है।

- संलग्न-1. नकल जमाबन्दी
- 2. गत नक्शा की प्रति
- 3. वर्तमान नक्शा की प्रति

मिलान-करोबरी के तमाम खसरा नं० 3308 का रकबा 0-0329 हेक्टर एवं
 खसरा नं० 3312 का रकबा 0.7764 हेक्टर था। लेकिन नक्शा में खसरा नं०
 3308 का रकबा 0.7764 हेक्टर एवं खसरा नं० 3312 का
 रकबा कम (0-0329 हेक्टर) दर्ज हो गया। इसलिए नक्शा में खसरा नं०
 3308 के स्थान पर खसरा नं० 3312 के स्थान पर 3308
 दर्ज रूखिया जाना ही खसरा नं० के रकबा में कोई अन्तर्भाव है।

हस्ताक्षर गवाहान

हस्ताक्षर

प. कलालिया

1. K.S.S.
 कलालिया

2. [Signature]
 सुदेव सिंह साकमिह

[Signature]
 नजरीनक्शा

रिपोर्ट भू अ. निरीक्षक


पटवारी हल्का कलालिया की फर्द मौका अनुसार मेरे द्वारा मौका जांच करली
 गई है। वर्तमान मौका एव पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा लट्टा अनुसार प्रस्तावित स्थान पर
 तरमीम किया जाना उचित है।

[Signature]

[Signature]
 हस्ताक्षर भू अ. निरीक्षक
 ICR
 12/5/23

तहसीलदार (भूमिधारी) की अनुशंषा


रिपोर्ट पटवारी हल्का कलालिया जांच भू अ. नि. अनुषा
के आधार पर तरमीम शुद्धि की अनुशंषा की जाती है।


तहसीलदार, रायपुर (पाली)

आदेश मुकदमा नम्बर - 108/2023

तहसीलदार (भूमिधारी) रायपुर की अनुशंषा के अनुसार ग्राम कलालिया के खसरा संख्या 3308, 3312 रकबा 0.0329, 0.7764 की वर्तमान तरमीम के स्थान पर प्रस्तावित तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रायपुर पालना कर, पालना प्रस्तुत करें।




उपखण्ड अधिकारी
25/08/2023
रायपुर
सहायक पटवारी, उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)